महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
वेदविद्या मार्ग, चिंतामण गणेश, पोस्ट जवासिया, उज्जैन-456006 (म.प्र.)
Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan
(Ministry of HRD, Govt. of India)
Vedavidya Marg, Chintaman Ganesh, P.O. Jawasiya, UJJAIN- 456006 (M.P.)

प.सं. 9-9/2018(शै.)/मसारावेविप्र/

दिनांक:9.9.2019

प्रति,

समस्त गुरु-शिष्य परम्परा इकाई अध्यापक

विषय : गुरु-शिष्य परम्परा इकाई में अध्ययनरत छात्रों के अध्यापन एवं रखरखाव हेतु समुचित व्यवस्था हेतु दिशा-निर्देश ।

महोदय,

महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन से अनुदानित समस्त गुरु-शिष्य परम्परा अध्यापकों को निर्देशित किया जाता है कि अध्यापक अपनी इकाई में अध्ययनरत समस्त छात्रों के अध्यापन एवं रखरखाव हेतु निम्नांकित निर्देशों का पालन करें ।

(1) प्रत्येक गुरु-शिष्य परम्परा इकाई में अधिकतम 10 छात्र वित्तपोषित प्रवेशित किए जा सकते हैं । अत: समस्त गुरु-शिष्य परम्परा इकाई अध्यापक अपनी इकाई में छात्र संख्या 10 निर्धारित करें । छात्रों की संख्या पर्याप्त नहीं होने पर अध्यापक को अनुदान जारी करने पर विचार किया जाएगा ।

(2) इकाई में अध्ययनरत समस्त अनुदानित छात्रों के अभिभावकों को प्रतिष्ठान से छात्रों हेतु जारी रखरखाव छात्रवृत्ति (रु. 3000 प्रतिमाह) एवं छात्र के अभिभावक संग संयुक्त बैंक खातें में प्रेषित की जानी वाली छात्र स्वत: व्यय राशि (रु. 1000 प्रतिमाह) की जानकारी छात्रों के अभिभावकों को दें तथा छात्रों के अभिभावकों से हस्ताक्षर कराकर उसकी सूचना प्रतिष्ठान को इमेल के माध्यम से प्रेषित करें ।

(3) छात्रों को वेदाध्ययन के साथ ही संस्कृत+सामाजिक अध्ययन एवं गणित + अंग्रेजी अध्यापन की व्यवस्था गुरु-शिष्य परम्परा इकाई अध्यापक की जिम्मेदारी है ।

(4) छात्रों को रखरखाव हेतु प्रतिष्ठान द्वारा प्रतिमाह रु. 3000/- की रखरखाव छात्रवृत्ति का भुगतान अध्यापक को किया जाता है । अत: समस्त वेदाध्यापक अपनी इकाई में अध्ययनरत छात्रों के आवास, भोजन, वस्त्र, रखरखाव (इकाई में छात्रों की सुरक्षा) आदि की समुचित व्यवस्था करें । इनमें कोई भी कमी न हो ।

(5) इकाई में अध्ययनरत समस्त छात्रों की उपस्थिति प्रतिमाह की 20 तारीख तक अध्यापक एवं छात्रों के स्मार्ट फोन से लिए गए समूह छायाचित्र समय एवं दिनांक सहित, जिसके पीछे संलग्न प्रारूप अनुसार बैनर लगा हो, प्राप्त होने पर ही इकाई को उस माह का अनुदान जारी किया जाएगा ।

(6) इकाई में अध्ययनरत किसी भी छात्र के इकाई छोडकर जाने पर छात्र के अभिभावक से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कराकर यथा दिनांक प्रतिष्ठान को ईमेल के माध्यम से छात्र छोडकर जाने की सूचना देनी अत्यन्त आवश्यक है । अन्यथा छात्र को दी गई छात्रवृत्ति (रखरखाव+ छात्र स्वत: व्यय राशि) का समायोजन अध्यापक के मानदेय से किया जाएगा ।

दूरभाष (0734)2502266, 2502254, 2502255 **फैक्स** (0734-2502253)
E-mail : msrvvpujn@gmail.com, website : www.msrvvp.ac.in

(7) वार्षिक परीक्षा में सभी छात्रों की उपस्थिति इकाई अध्यापक की स्वयं की व्यक्तिश: जिम्मेदारी है, तथा परीक्षा में अनुपस्थित छात्रों को जारी रखरखाव एवं छात्र की छात्र स्वत: व्यय राशि अध्यापक के मानदेय से समायोजित की जाएगी ।

(8) छात्रों के प्रवेश हेतु अभिभावकों से किसी भी प्रकार का आर्थिक अनुदान लेना, छात्र को आर्थिक, शारीरिक एवं मानसिक रुप से प्रताडित करने पर अध्यापक की जिम्मेदारी होगी एवं अध्यापक के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जाएगी ।

(9) प्रतिष्ठान द्वारा अनुदानित गुरु-शिष्य परम्परा इकाइयों का किसी भी समय औचक निरीक्षण किया जा सकता है । निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की कमी, अनियमितता, छात्रों की अनुपस्थिति पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से इकाई की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी । छात्रों को अन्यत्र समाहित किया जाएगा ।

भवदीय,

9.9.19 at 6.45pm

(प्रो. विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल)
सचिव